भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4007
दिनांक 25 मार्च, 2025 / 04 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

तेलंगाना को बाढ़ राहत

†4007. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना को आंध्र प्रदेश की तुलना में कम बाढ़ राहत प्राप्त हुई है;

(ख) क्या सरकार तेलंगाना में बाढ़ से हुए नुकसान का पुन: आकलन करेगी; और

(ग) क्या वास्तविक क्षति के आधार पर राहत राशि को बढ़ाने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क): राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत राहत व्यय के वित्तपोषण की योजना, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत गठित क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। इसके अलावा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ से सहायता का वितरण दिशानिर्देशों और सहायता के मदों और मानदंडों द्वारा नियंत्रित होता है, जिन्हें राज्यों सहित सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किया जाता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की सहायता के ये दिशानिर्देश और मानदंड बिना किसी भेदभाव के पूरे भारत में लागू होते हैं, और ये गृह मंत्रालय की वेबसाइट https://ndmindnia.mha.gov.in पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग): राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति (एनपीडीएम) के अनुसार, जमीनी स्तर पर राहत सहायता के वितरण सहित आपदा प्रबंधन की प्राथमिक जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकारों की है। राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, पहले से ही उनके पास उपलब्ध एसडीआरएफ से राहत उपाय करती हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक्स और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में, निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) के दौरे के आधार पर मूल्यांकन शामिल है।

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4007, दिनांक 25.03.2025

तेलंगाना में 2024 में आने वाली बाढ़ के मद्देनजर, राज्य सरकार से ज्ञापन का इंतजार किए बिना, नुकसान का मौके पर आकलन करने के लिए केंद्र सरकार ने 5 सितंबर, 2024 को एक आईएमसीटी का गठन किया था। आईएमसीटी ने 10 से 13 सितंबर, 2024 के दौरान राज्य के प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। आईएमसीटी की रिपोर्ट के आधार पर, केंद्र सरकार ने 2024 की बाढ़ के लिए एनडीआरएफ से 231.75 करोड़ रुपये (एसडीआरएफ खाते में उपलब्ध शेष राशि के 50% के समायोजन के अधीन) की राशि को मंजूरी दी है।

इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए तेलंगाना को एसडीआरएफ में 555.20 करोड़ रुपये (416.80 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा + 138.40 करोड़ रुपये राज्य हिस्सा) आवंटित किए गए हैं। राज्य को 416.80 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा अग्रिम रूप से जारी किया जा चुका है। इसके अलावा, महालेखाकार, तेलंगाना ने 1 अप्रैल, 2024 तक अपने एसडीआरएफ खाते में 1345.15 करोड़ रुपये की शेष राशि की सूचना दी है। इस प्रकार, राहत कार्यों के लिए राज्य के एसडीआरएफ खाते में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है।

एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में है, न कि नुकसान/दावा के मुआवजे के लिए।

******